न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 56/2023 अपील (GCMS 2023/60)
पंजीयन दिनांक- 11/09/2023
निर्णय दिनांक- 10/02/2026

मृतक भूरा पिता उदयराम उर्फ कालु गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के बजायः-

1. श्री माधवलाल पिता भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
2. श्री कालूराम पिता भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती देऊबाई बेवा भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
4. श्रीमती कमलीदेवी पुत्री भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
5. श्रीमती पारसबाई पुत्री भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
6. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
7. श्रीमती शांतिबाई पुत्री भूरा गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री जगदीश पिता हरूजी गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
2. श्री जेसुराम पिता हरूजी गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती प्रेमी पुत्री हरूजी गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
4. श्रीमती मंजू पुत्री हरूजी गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

5. श्रीमती छगनीबाई पुत्री हरूजी गायरी, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
6. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री संजय बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनीष शर्मा - अधि. रेस्पो. सं. 1 से 5
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज. अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमंद के
प्रकरण संख्या 29/2022 निर्णय दिनांक 20.02.2023

निर्णय

दिनांक 10/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 29/2022 निर्णय दिनांक 20.02.2023 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 2557 निर्णय दिनांक 25.06.2021 उप तहसीलदार, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या 192 खसरा संख्या 1940 रकबा 86.8454 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 807 खसरा संख्या 352, 353, 356 रकबा क्रमशः 0.8094, 0.8256 एवं 0.6799 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3149 हैक्टेयर भूमि के संबंध में उप

तहसीलदार, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद द्वारा खातेदार भूरा पिता कालू गाडरी के विरासत के आधार पर नामांतरकरण संख्या 2557 दिनांक 25.06.2021 को निरस्त किया गया, जिसे बहाल किया जावें, उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 29/202022 निर्णय दिनांक 20.02.2023 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किये जाने अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.02.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- *"अतः प्रकरण में उपरोक्त सुसंगत तथ्यों, विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक प्रावधानों के आधार पर अपील अपीलांट प्रथम दृष्टया न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामांतरकरण संख्या 2557 दिनांक 25.06.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उपरोक्त आर्ब्जरवेशनस् के साथ-साथ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 व धारा 136 में प्रावधित विधिक प्रक्रिया, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 354, नियम 355, नियम 399, नियम 406, नियम 416, नियम 423 व धारा 369 में प्रावधित विधिक प्रक्रिया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 239* (Question Of Proprietary Rightsin Revenue Courts) *के अंतर्गत सक्षम अधिकारिता के माननीय सिविल व माननीय राजस्व न्यायालयों में अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार, पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेजों के क्रेता-विक्रेता के अधिकारों की विधिक स्थिति, नियमानुसार राजकोष में देय मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की जमा की सुनिश्चितता एवं माननीय उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक पूर्व निर्णयों* (Judicial precedents) *को दृष्टिगत विधिक हित वाले पक्षकारान् को युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य-सबुतों व न्यायिक गुणावगुण के आधार पर सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार विधि सम्मत*

निर्णय करे तथा नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही संपादित करे, संबंधित को नियमानुसार अनुपालना हेतु प्रेषित है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा द्वारा पूर्व में उपस्थित होकर लिखित बहस पेशशुदा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 04.02.2026 को सुनी गई तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था, क्योंकि हरलाल उर्फ हरू के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान के नाम नामांतरकरण सन् 2004 में ही स्वीकृत हो चुका था तथा विवादग्रस्त भूमि से हरलाल उर्फ हरू का कोई संबंध नहीं होने से उसका नामांतरकरण नहीं खुला था। मौजूदा रेस्पोडेंट्स ने जालसाजी कर हरलाल उर्फ हरू के बजाय मृत्यु प्रमाण पत्र में हरलाल उर्फ भूरा का नाम इन्द्राज करा दिया तथा उसके आधार पर नया नामांतरकरण स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा सही खारिज किया गया है। भूरा व हरू अलग-अलग व्यक्ति है। अपीलांट ने अपनी कुछ जायदाद का विक्रय सन् 2004 में मदनलाल पालीवाल के हक में किया था, उसका नामांतरकरण भी स्वीकृत किया गया है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित तथा आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना व उन्हें सुने बिना तथा कथित कार्यवाही को धारा 135 व 136 के तहत करने का आदेश दिया जबकि धारा 136 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार केवल उपखण्ड अधिकारी को है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए, जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य

है। इस प्रकरण में स्पष्ट है कि भूरा पिता कालू उर्फ उदयराम आज भी जिंदा है तथा उसे मृतक बताकर उसके नाम का नामांतरकरण भरने की कुचेष्ठा की गई, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा सही निरस्त किया गया है, ऐसे मामले में अपील ही लायी नहीं होती है। हरू पिता कालु के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान के नाम नामंतरकरण संख्या 1266 दिनांक 20.08.2004 को स्वीकृत हो चुका है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में हरू उर्फ भूरा का नाम दर्ज कर उसके आधार पर विवादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण स्वीकृत कराया तथा अब करीब 17 वर्षो बाद दुबारा नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, जबकि वर्ष 2004 के नामांतरकरण के विरूद्ध अपील पेश कर उसे निरस्त नही करवा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स को अधीनस्थ न्यायालय में कथित अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2007 (2) Page 864 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट भूरा के पिता का नाम उदेराम उर्फ कालू नहीं है, ना ही यह व्यक्ति ग्राम जुणदा, तहसील रेलमगरा का पैदाईशी व्यक्ति है। यह व्यक्ति ग्राम सांगास, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा का निवासी होकर उसकी चल-अचल की कुलिया संपत्ति भी उसी ग्राम में स्थित है। भूरा पिता उदेराम एवं नाथु पिता उदेराम गाडरी दोनो सगे भाई होकर ग्राम सांगास, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा के निवासी है। अपीलांट के समस्त दस्तावेज यथा वोटर लिस्ट, राशन कार्ड एवं भूमि संबंधी दस्तावेज ग्राम सांगास, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा के है तथा कार्यालय सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाडा के भूमि आवाप्ति संबंधी प्रकरण में निर्णय दिनांक 05.06.2015 अनुसार ग्राम सांगास, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा की भूमि आवाप्त हुई है, उसका मुआवजा अपीलांट भूरा व नाथु पिता उदेराम गाडरी द्वारा प्राप्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त भूमि के संबंध में अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौजा जुणदा के आराजी संख्या 1940

रकबा 86.8454 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय-पत्र से मेजर जनरल राव मनोहरसिंह से अन्य भूमि के साथ क्रय की गई है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में हजारी पिता कालु गाडरी तथा भूरा पिता कालू गाडरी का नाम विक्रय पत्र में अंकित है, जिसके फर्जी या गलत होने की कोई आशंका नहीं है। रेस्पोडेंट्स ग्राम जुणदा, तहसील रेलमगरा के निवासी होकर मूल पुरूष मानाजी थे, उनके एक पुत्र कालु तथा कालु के पांच पुत्र भागु, लोभा, हजारी, रामा, हरकलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा हुए। हरकलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिस जगदीश, जेसुराम, प्रेमी, मंजू एवं छगनी है। अतः इस संबंध में तहसीलदार, रेलमगरा की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेंट्स को हरकलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा के वारिस प्रमाणित पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 29/2022 निर्णय दिनांक 20.02.2023 से रेस्पोडेंट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया गया है, जो उचित होकर नियमानुसार है। अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है तथा नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जानी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 6 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद द्वारा दिनांक 20.02.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अब हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर विचार करना उचित समझते हैं। विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के दृष्टीगत हम यहां सर्वप्रथम दफा 96 जाप्ता दीवानी पर विनिश्चिय किया जाना

उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20.03.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील पेश की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है, तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। जो व्यक्ति किसी आदेश या निर्णय में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 44 में निम्न सारांश प्रतिपादित किया है:-

"SECTION 96 The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained"

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 232 (DB) में निम्न सारांश प्रतिपादित किया है:-

"CODE OF CIVIL PROCEDURE & SECTION 96-A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURTAN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT"

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में क्या अपीलांट इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति है अथवा नहीं, इस हेतु

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और परिक्षणोपरांत जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 2557 निर्णय दिनांक 25.06.2021 उप तहसीलदार, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के विरूद्ध पेश की। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 29/202022 निर्णय दिनांक 20.02.2023 से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिसमे अपीलांट पक्षकार नहीं था। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में तृतीय पक्ष को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तृतीय पक्ष व्यथित नहीं हो सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पक्ष/विरूद्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा विक्रय विलेख 03.09.2004 को आधार बताया जाकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विक्रय विलेख वादग्रस्त आराजी के संबंध में निष्पादित नहीं है, विक्रय पत्र व उसमें वर्णित भूमि को रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं किया गया था, न ही उसके संबंध में कोई हक अधिकार क्लेम किये गये है, इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 354 की भूमि एवं प्रकरण में प्रस्तावित दर्ज नामांतरकरण दोनों पृथक-पृथक है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित भूमि का वह खातेदार काश्तकार रहा हो। इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत कार्यवाही को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। यहां हम विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णय/न्यायिक दृष्टांतो में प्रकट अभिमत का प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी परिक्षण किया जाना उचित समझते हैः-

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7728-2012 दिनांक 08.11.2022 में माना है किः-

Administratio of Justice – Locus standi – Aggrieved party – Only a person who has suffered, or suffers from legal injury can challenge the act/ation/order etc. in a court of law – A stranger cannot be permitted to meddle in any proceedings.

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों अनुसार भू-स्वामी ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुंसगत होकर चस्पा होते है, क्योंकि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति है, ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में भी अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है।

अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति है, ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में भी अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है, फिर भी यह न्यायालय न्यायहित में वर्णन करना उचित समझता है कि प्रकरण में तहसीलदार, रेलमगरा के पत्रांक 1101 दिनांक 11.01.2023 से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि ग्राम जुणदा की खाता संख्या 192 आराजी नम्बर 1940 रकबा 86.8454 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 807 आराजी नम्बर 352 व 353 एवं 356 कुल किता 03 कुल रकबा 2.3149 हैक्टेयर भूमि के संबंध में मृतक हरलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा पिता कालु गाडरी की मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मय सजरा प्रमाण पत्र, दस्तावेज के आधार पर तथा बयान लेखबद्ध कर वारिसान की जांच की गई, बाद जांच उपरोक्तानुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 मृतक हरलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा पिता कालु गाडरी के वारिसान होना प्रमाणित पाया जाता है।

इसके विपरीत तहसीलदार, रेलमगरा के आदेश क्रमांक 197 दिनांक 17.10.2022 से अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड की स्थित की जांट बाबत गठित जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है किः- मौके पर उपस्थित सांगास, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा निवासी श्री घासीराम पिता मोहनलाल गाडरी एवं श्री जीतमल पिता दल्ला गाडरी ने जाहिर किया कि सांगास निवासी

भूरा के पिता का नाम उदा है एवं वह जुणदा के निवासी नहीं होकर ग्राम सांगास, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा के निवासी है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 1940 हरू उर्फ भूरा के नाम पर 24.05.1961 को क्रय की गई है। जिसमें विक्रेता श्री मेजर जनरल राव मनोहरसिंह दर्ज होकर क्रेता क्रमांक 17 पर भूरा पिता कालू गाडरी दर्ज है एवं विक्रय पत्र की पंजीयन दिनांक 24.05.1961 दर्ज है। रेस्पोडेंट्स के पिता हरलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा पिता कालू गाडरी की मृत्यु दिनंक 10.10.2002 संवत् 2059 को होना प्रमाणित है। रिपोर्ट तहसीलदार, रेलमगरा अनुसार रेस्पोडेंट्स के पिता को हरू उर्फ हरलाल उर्फ भूरा के नाम से भी जाना जाता था। यह भी जाहिर आया कि आराजी संख्या 1940 के वास्तवित खातेदार मृतक हरलाल उर्फ भूरा ही है, जिनके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 है। हरलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा पिता कालु के वारिसान की पहचान के दस्तावेज तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित पाया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 हरलाल उर्फ हरू उर्फ भूरा पिता कालू गाडरी के विधिक उत्तराधिकारी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूरा उर्फ हरू पिता कालू के विरासत के नामांतरकरण की प्रति भी प्राप्त की गई, उक्त नामांतरकरण से यह प्रमाणित होता है कि कालु के 05 पुत्र है, जिसमें मृतक भूरा भी शामिल है, कालु के विरासत का नामांतरकरण राजकीय दस्तावेज है तथा 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है, इस पर अविश्वास करने को कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, बल्कि विधि अनुसार इस संबंध में उक्त दस्तावेज सही होने की उपधाराणा है। जहां तक भूरा द्वारा वर्ष 2004 में अन्य आराजी को विक्रय विलेख के जरिये अंतरण करने का नोट पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है, वह भूमि इस वादग्रस्त नामांतरकरण में सम्मिलित ही नहीं है, उसके संबंध में स्वयं भूरा के वारिसान द्वारा हक अधिकार क्लेम नहीं किये गये है, न ही विक्रय पत्र को उनके द्वारा प्रश्नचिन्ह किया गया है, ऐसी स्थिति में पंजीकृत विक्रय विलेख के संबंध में इस दस्तावेज की वैद्यता सक्षम सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। नामांतकरण की कार्यवाही में इस विवाद को निर्णित करने की अधिकारिता नही

रहती है। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अपीलांट को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक तथा विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि उप तहसीलदार, गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 2557 दिनांक 25.06.2021 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट व्यथित/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 20.02.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर